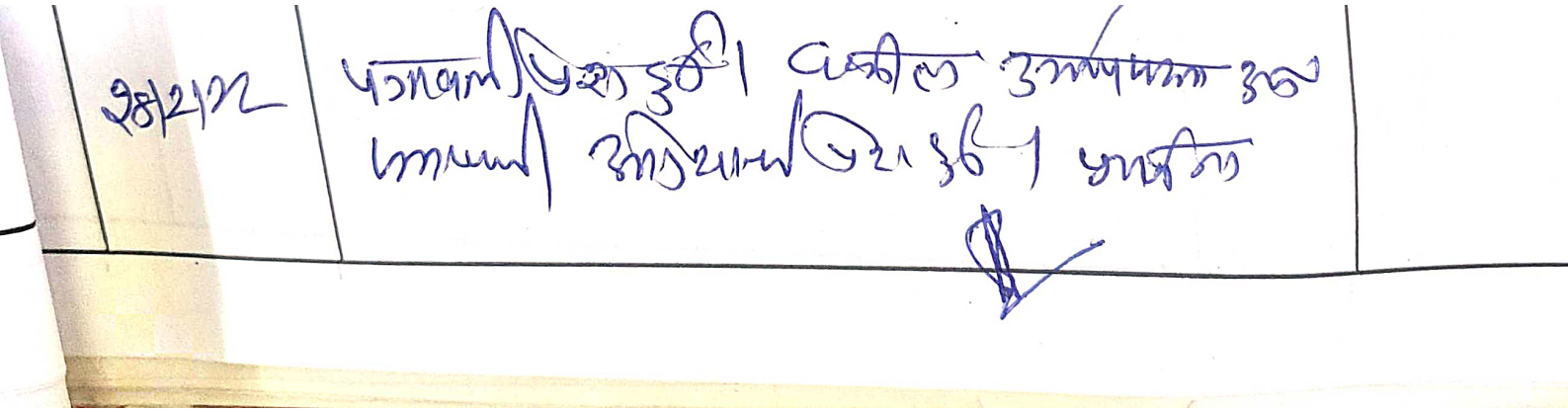

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested

या कार्यवाही

[illegible] Sec 10 CPC 1908 [illegible]

[illegible]

संख्या

दिनां

या क

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अरशदीप बराड(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 25/2020

1. पोखर पुत्र भैरूराम (मृतक)
   1/1. पप्पू लाल पुत्र पोखर पुत्र भैरू
   1/2. नानू पुत्र पोखर पुत्र भैरू
   1/3. लालाराम पुत्र पोखर पुत्र भैरू
   1/4. रामगोपाल पुत्र पोखर पुत्र भैरू
   1/5. अमरी देवी पत्नी पोखर पुत्र भैरू
   1/6. प्रेम पुत्री पोखर पुत्र भैरू
   1/7. गीता पुत्री पोखर पुत्र भैरू
   1/8. सीता पुत्री पोखर पुत्र भैरू
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।

...........वादीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र गंगाराम (मृतक)
   1/1. भैरूराम पुत्र भूरा
   1/2. मोहन लाल पुत्र भूरा
   1/3. भूरी देवी बेवा भूरा
   1/4. ग्यारसी देवी पुत्री भूरा
   1/5. झमरी देवी पुत्री भूरा
   1/6. कानी देवी पुत्री भूरा
   1/7. लक्ष्मा पुत्री भूरा
2. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी भैरूराम
3. श्रीमती नाथी देवी पत्नी श्री मोहन
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय तृतीय पंजीयन एवं मुद्रांक तहसील व जिला जयपुर।

...........प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः 28/2/22

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी पेश हुई। दिनांक 31.12.2009 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी ... प्रार्थी अधिवक्ता ने उल्लेख किया किः

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि ग्राम बसेडी तहसील जयपुर स्थित खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नं0 5 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा के संबंध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर प्रथम के समक्ष वाद सं0 43/89 भूरा बनाम पोखर आज भी बाद रिमाण्ड विचाराधीन है। उपरोक्त शीर्षकीय वाद पश्चातवर्ती है जिसमें वर्णित विवादित भूमि खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम बसेडी तहसील जयपुर स्थित व वर्ष 1989 से लंबित वाद सं0 43/89 उनवानी भूरा बनाम पोखर में विवादित भूमि व पक्षकार समान है अर्थात् वाद की विषय वस्तु प्रत्यक्षतः और सारतः समान है। कानूनन पूर्व वाद के विचाराधीन रहते हुये

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

पश्चातवर्ती वाद चलने योग्य नहीं है। कानून में पश्चातवर्ती वाद के लिये निम्न प्रकार व्यवस्था दी गई है–"कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाध–विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्यत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाध है आगे कार्यवाही नहीं करेगा। जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है।" अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी पोखर द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को पूर्व में पेश वाद सं0 43/89 उनवानी भूरा बनाम पोखर के अंतिम निर्णय तक स्थगित फरमाया जावे।

जिसका जवाब अप्रार्थी (वादीगण) द्वारा दिनांक 25.10.2021 को पेश कर अभिवचन किया गया कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 02 आंशिक रूप से स्वीकार है कि उपरोक्त प्रकरण सं0 43/89 भूरा बनाम पोखर रिमाण्ड होकर आया था लेकिन उसमें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी गैर कानूनी रूप से दिनांक 27.07.2009 को निर्णित किये जाने पर उपरोक्त आदेश की एक निगरानी टीए/6606/2009 राजस्व मण्डल अजमेर जयपुर बेंच में नियत है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 06.10.2021 नियत है एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम किये जाने हेतु स्थायी आदेश दिये हुये है एवं पत्रावली रेवेन्यू बोर्ड में तलब किये जाने के बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा नहीं भिजवायी गयी है। धारा 10 सीपीसी में मेनडेटरी प्रोविजन है कि पश्चातवर्ती वाद स्टे किया जाना चाहिये लेकिन निगरानी/टीए/6606/2009 में पारित माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 09.09.2009की अक्षरशः पालना नहीं की जा रही है एवं माननीय न्यायालय में उसी विषय वस्तु के वाद भूराराम वगै0 द्वारा भी प्रस्तुत किये हुये है। लिहाजा मेनडेटरी प्रावधानों की पालना पहले प्रार्थीगण भूराराम वगै0 द्वारा की जानी चाहिये जो नहीं की जा रही है। इस कारण multiplicity of suits बढ रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पोखर बनाम भूरा व अन्य में प्रस्तुत वाद को स्थगित नहीं किया जावे। दावा 43/89 उनवानी भूरा बनाम पोखर दिनांक 28.07.2003 को खारिज हो चुकी है व उसे रेस्टोर करने के आदेश अपीलाधीन है अतः उसे विचाराधीन नही माना जा सकता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं0 2 निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण को बहस हेतु अवसर दिया गया। प्रार्थी/अप्रार्थी के द्वारा किये गये कथनों व पोखर बनाम भूरा (25/2020) व पत्रावली भूरा बनाम पोखर (24/2020) का मनन किया गया व उसके अनुसार न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय किया गया।

यह प्रार्थना पत्र तब पेश किया गया था जब भूरा बनाम पोखर (43/89) की रेस्टोरेशन अपीलाधीन थी। अब वास्तविकता यह है कि दावा 43/89 रिस्टोर हो कर पुनः नम्बर (नवीन वाद सं0 24/2020) पर लिया जा चुका है व उसकी ... नियमित रूप से इसी न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम में की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र सेक्शन 10 सीपीसी 1908 में मुख्य विचारणीय बिंदु यह रहता है कि क्या वादपत्र में विषयवस्तु, चाहा गया अनुतोष व मूल पक्षकार स... है? इस बिंदु के प्रकाश में दोनों पत्रावलियों पोखर बनाम भूरा (67/2009) नया वाद सं0 25/2020 व भूरा बनाम पोखर (24/2020) का अध्ययन कर पाया गया कि इस वाद पोखर बनाम भूरा (25/2020) में वादी ने ग्राम बरोडी स्थित खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि की घोषणा सेक्शन 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी भूरा व अन्य दावा पेश किया है व

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

पत्रावली भूरा बनाम पोखर (24/2020) में वादी भूरा द्वारा दावा बाबत घोषणा सेक्शन 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खसरा नं0 5 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम बसेडी विरूद्ध पोखर व अन्य प्रतिवादी किया गया है।

इन दोनों दावों में मूल विषयवस्तु व पक्षकार लगभग समान है व यदि यह दोनों दावें अलग–अलग चलाये जाते है तो इनमें विरोधाभासी निर्णय होने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है। भूरा बनाम पोखर इस विषयवस्तु का पूर्ववर्ती दावा है, जिसमें पक्षकार व चाहा गया अनुतोष लगभग समान है।

अतः यह न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी 1908 स्वीकार कर दावा 25/2020 उनवानी पोखर बनाम भूरा खारिज फरमाता है। मुताबिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी हो। इस वाद पोखर बनाम भूरा (25/2020) के यदि कोई ऐसे पक्षकार है जो भूरा बनाम पोखर (24/2020) पत्रावली में पक्षकार न हो वह भूरा बनाम पोखर में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी 1908 पेश कर पक्षकार बने व अपना पक्ष रखे।

निर्णय आज दिनांक 28/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरशदीप बराड़) R.A.S.
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

1. पोखर पुत्र भैरूराम (मृतक)
   1/1. पप्पू लाल पुत्र पोखर पुत्र भैरू
   1/2. नानू पुत्र पोखर पुत्र भैरू
   1/3. लालाराम पुत्र पोखर पुत्र भैरू
   1/4. रामगोपाल पुत्र पोखर पुत्र भैरू
   1/5. अमरी देवी पत्नी पोखर पुत्र भैरू
   1/6. प्रेम पुत्री पोखर पुत्र भैरू
   1/7. गीता पुत्री पोखर पुत्र भैरू
   1/8. सीता पुत्री पोखर पुत्र भैरू

   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।

...........वादीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र गंगाराम (मृतक)
   1/1. भैरूराम पुत्र भूरा
   1/2. मोहन लाल पुत्र भूरा
   1/3. भूरी देवी बेवा भूरा
   1/4. प्यारसी देवी पुत्री भूरा
   1/5. इमरती देवी पुत्री भूरा
   1/6. कान्ती देवी पुत्री भूरा
   1/7. लक्ष्मा पुत्री भूरा
2. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी भैरूराम
3. श्रीमती नाथी देवी पत्नी श्री मोहन

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय तृतीय पंजीयन एवं मुद्रांक तहसील व जिला जयपुर।

............प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 25/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] बराड व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब [illegible] होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि इन दोनों दावों [illegible] लगभग समान है व यदि यह दोनों दावें अलग–अलग चलाये [illegible] विरोधाभासी निर्णय होने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है। भूरा बनाम पोखर इस वि[illegible]स्तु का पूर्ववर्ती दावा है, जिसमें पक्षकार व चाहा गया अनुतोष लगभग समान है। अतः यह न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी 1908 स्वीकार कर दावा 25/2020 उनवानी पोखर बनाम भूरा खारिज फरमाता है। इस वाद पोखर बनाम भूरा (25/2020) के यदि कोई ऐसे पक्षकार है जो भूरा बनाम पोखर (24/2020) पत्रावली में पक्षकार न हो वह भूरा बनाम पोखर में पक्षकार बनमें

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी 1908 पेश कर पक्षकार बने व अपना पक्ष रखे।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ......—...... मुवलिग ......—...... बावत् ......—......

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद वशरह ......—...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......—...... का अदा करें।

वराब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/2/22 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ...... अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)

ओहदा सहा. कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरीके जरिये दिखाया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम